

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी शक्तिसिंह भाटी

प्रकरण संख्या:- 06/2011 वाद  
दायर दिनांक :-30/03/2011  
निर्णय दिनांक :- 29/06/2018

अनवान

1. अण्छी बेवा गणेशलाल खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा
2. नरेश पिता गणेशलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा
3. सुरेश पिता गणेशलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा

वादीगण

—:बनाम:—

1. बद्री पिता बालू नायक निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा
2. शांति पति पोखर नायक निवासी इटाली रोड, फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमीधारक तहसीलदार, रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::


वादी द्वारा वाद बाबत विभाजन जरिये अधिवक्ता के प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2269, 2270 कुल किता -02 कुल रकबा 03-05 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। जिसका तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव फहरिस्त मय रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गई। वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	अण्छी बेवा गणेशलाल नरेश सुरेश पिता गणेश लाल सा0देह0खातेदार	2269/1	00-05-03	0.12
		2270/1	00-17	0.42
योग		2	01-02-03	0.54
02	बद्री पिता बालू शान्ति पति पोखर नायक सा0देह0खातेदार	2269 मीन	01-05-17	0.65
		2270 मीन	00-17	0.43
योग		2	02-02-17	1.08

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। रहन यथावत रखा जावे इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कोर्ट कैम्प रेलमगरा मे सुनाया गया।

  
(शक्तिसिंह भाटी)  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी ( आदेश 20 नियम 8 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या :- 06/2011

वादी पक्ष :-

1. अण्छी बेवा गणेशलाल खटीक, निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा
2. नरेश पिता गणेशलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा
3. सुरेश पिता गणेशलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला ,तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. बद्री पिता बालू नायक निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा
2. शांति पति पोखर नायक निवासी इटाली रोड, फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमीधारक तहसीलदार, रेलमगरा

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- सी.एस. शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :- एस.एल. जाट


में इस आशय मे दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2269, 2270 कुल किता -02 कुल रकबा 03-05 बीघा का तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	अण्छी बेवा गणेशलाल नरेश सुरेश पिता गणेश लाल सा०देह०खातेदार	2269/1 2270/1	00-05-03 00-17	0.12 0.42
	योग	2	01-02-03	0.54
02	बद्री पिता बालू शान्ति पति पोखर नायक सा०देह०खातेदार	2269 मीन 2270 मीन	01-05-17 00-17	0.65 0.43
	योग	2	02-02-17	1.08

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 21/06/2018 को न्यायालय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



  
(शक्ति सिंह भाटी)  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा